

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

शाहिद परवेज,
विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना

पटना, दिनांक-

विषय:- बिहार उर्दू अकादमी, पटना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायता अनुदान वेतन मद में ₹59,57,820.00 (उनसठ लाख संतावन हजार आठ सौ बीस रुपये) मात्र की निकासी एवं आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार उर्दू अकादमी, पटना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान वेतन मद (31 04) में ₹1,80,54,000 / - (एक करोड़ अस्सी लाख चौवन हजार रुपये मात्र) का बजट उपबंध प्राप्त है।

CFMS में वित्तीय बंधेज शर्तें लागू होने के कारण बिहार उर्दू अकादमी, पटना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान वेतन मद (31 04) में बजट उपबंध ₹59,57,820.00 (उनसठ लाख संतावन हजार आठ सौ बीस रुपये) मात्र उपावंटन हेतु उपलब्ध है।

अतः बिहार उर्दू अकादमी को सहायक अनुदान गैर वेतन मद (31 04) में ₹59,57,820.00 (उनसठ लाख संतावन हजार आठ सौ बीस रुपये) मात्र की निकासी एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-004-अनुसंधान, उप शीर्ष-0010-उर्दू अकादमी, विपत्र कोड-30-2202800040010, विस्तृत शीर्ष-31 विषय शीर्ष-04 सहायक अनुदान वेतन मद मतदेय के अन्तर्गत होगा।

3. अनुदान की राशि ₹59,57,820.00 (उनसठ लाख संतावन हजार आठ सौ बीस रुपये) मात्र की निकासी प्रपत्र BTC-42 के माध्यम से सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी, जिसे CFMS के माध्यम से सचिव, बिहार उर्दू अकादमी, पटना को खाता संख्या-440810100006014 एवं Ifsc Code-BKID0004408 में में उपलब्ध करायेंगे।

4. इस राशि का व्यय बिहार उर्दू अकादमी के नियमित कर्मचारियों के वेतनादि के लिए ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अकादमी अपने व्यय को अपनी आय के अन्दर सीमित रखेगा।

5. सहायक अनुदान वेतन मद की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की निर्गत तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। अतः बिहार उर्दू अकादमी अनुदान की राशि का व्यय होने पर अंकेंक्षण प्रतिवेदन के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेगा, ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा सकें।

6. बिहार उर्दू अकादमी, पटना महालेखाकार द्वारा लेखाओं का अद्यतन अंकक्षण कराने हेतु कार्रवाई करेगा तथा पूर्व के अंकक्षण टिप्पणियाँ तथा आपत्तियाँ, अगर हो तो, उसका निराकरण करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

7. क्ति विभाग के पत्रांक-7355(वि०) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना को प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

8. क्ति विभाग के संकल्प संख्या-4443 दिनांक-14.06.2018 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाना होगा।

9. उपरोक्त में विभागीय आन्तरिक क्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-12-14/2007(खण्ड)...../ पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-12-14/2007(खण्ड)...../ पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-12-14/2007(खण्ड)...../ पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- क्ति विभाग(बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-12-14/2007(खण्ड) 170 / पटना, दिनांक- 25/06/16
प्रतिलिपि:- उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/ बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई० टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव